

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं०-03/भू०अ०नि० (7) अपील-16/2024.....

14289 60 05/11/2024

आदेश

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश सं०-2482 दिनांक-10.06.2024 के विरुद्ध अपीलार्थी श्री अभिषेक कुमार, (Emp. ID No.- AEN04595), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है। अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय ने अपने पत्रांक-2516 दिनांक-16.12.2023 द्वारा दिनांक-17.07.2023 से 16.12.2023 (प्रतिवेदित तिथि) तक श्री अभिषेक कुमार (अपीलार्थी) विशेष सर्वेक्षण अमीन को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा उनकी अनुपस्थिति के कारण सर्वेक्षण कार्य प्रभावित होने संबंधी प्रतिवेदन दिया गया है। दिनांक-22.12.2023 को योगदान करने के उपरान्त पुनः अनुपस्थिति रहने के कारण अपीलार्थी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा गयी है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक-16 दिनांक-03.01.2024 द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। स्पष्टीकरण में अपीलार्थी ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने तथा अपने भाई के पैर का आपरेशन होने के कारण अनुपस्थित रहने का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का आग्रह किया है।

अपीलार्थी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय द्वारा पुनः बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय से मंतव्य की मांग की गयी। बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार दिनांक-17.07.2023 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। इस बीच वे दिनांक-22.12.2023 को योगदान देने के बाद अभी तक अपने कार्य पर नहीं लौटे हैं। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा पुनः अपीलार्थी के विरुद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति, सर्वेक्षण कार्य बाधित होने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है। उक्त अनुशंसा के आलोक में अपीलार्थी से निदेशालय पत्रांक-1904 दिनांक-22.04.2024 के द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कारण पृच्छा की गयी। कारण पृच्छा के आलोक में अपीलार्थी द्वारा अपना स्पष्टीकरण दाखिल किया गया है।

दाखिल स्पष्टीकरण की समीक्षा निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा किया गया। समीक्षोपरान्त यह पाते हुए कि श्री कुमार बिना किसी पूर्व अनुमति के कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं तथा अनुपस्थित रहने के कारण विशेष सर्वेक्षण जैसे समयबद्ध कार्य बाधित होने के कारण अपीलार्थी का संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि दिनांक-16.07.2023 को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा आयोजित होने वाली सब इन्स्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में शामिल होने हेतु दिनांक-15.07.2023 से 17.07.2023 तक का आकस्मिक अवकाश लिया था। अपने भाई का ऑपरेशन कराने हेतु दिनांक-18.07.2023 से 22.07.2023 तक का अवकाश विस्तार आवेदन ऑफिसियल Whatsapp Group के माध्यम से समर्पित किया था (PMCH का मेडिकल रिपोर्ट संलग्न)।

हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिलने पर दिनांक-01.08.2023 को 01.08.2023 से 16.08.2023 तक के अर्जित अवकाश हेतु बन्दोबस्त पदाधिकारी महोदय से आग्रह किया था। अपीलार्थी का आगे कहना है कि मेरे पिता चलने फिरने में असमर्थ है। घर में मैं एकमात्र पुरुष सदस्य हूँ, जो हॉस्पिटल में भाई का देख-रेख करता था। हॉस्पिटल से भाई को दिनांक-28.09.2023 को डिसचार्ज किया गया। भाई के देख-रेख तथा पैर का एक्सरसाइज कराने में मुझे साथ रहना पड़ा। इस बीच भाई का पुनः दिनांक-01.11.2023 को तबियत खराब हो जाने के कारण पुनः AIIMS पटना में भर्ती करना पड़ा (चिकित्सा पूर्जा की छायाप्रति संलग्न)। भाई का तबियत में सुधार होने के पश्चात मैंने दिनांक-22.12.2023 को अपना योगदान दिया।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि भाई के ईलाज के दौरान मैं अस्वस्थ रहने लगा इसलिए दिनांक-22.12.2023 को बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय में योगदान समर्पित करने के बाद दिनांक-24.12.2023 से अपना ईलाज कराने हेतु घर चला गया तथा ईलाज कराने के उपरांत दिनांक-25.04.2024 को पुनः अपना योगदान समर्पित किया (चिकित्सा पूर्जा एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)। अपीलार्थी का कहना है कि मैंने अपने आवंटित मौजों का कार्य ससमय किया है। अपीलार्थी ने अपने किये गये कार्य अवधि का सैलरी तथा EPF राशि खाता में जमा कराने का अनुरोध किया है। साथ ही निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के आदेश दिनांक-10.06.2024 को रद्द कर पुर्ननियोजित करने का अनुरोध किया है।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील, संलग्न अभिलेख एवं अपीलार्थी के कथन की विवेचना की गयी। विवेचनोपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी अपने भाई के ईलाज में कर्तव्य से अनुपस्थित रहे हैं। अपीलार्थी द्वारा परीक्षा देने एवं अपने भाई के ईलाज हेतु समय-समय पर आकस्मिक अवकाश आवेदन कार्यालय को उचित माध्यम द्वारा समर्पित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक-03.04.2024 एवं 25.04.2024 को समर्पित स्पष्टीकरण प्रतियुत्तर में अपने विकट परिस्थितियों को प्रतिवेदित करते हुए बकाया राशि का भुगतान एवं EPF की राशि का इनके EPF खाता में हस्तांतरण का अनुरोध किया गया है, जिस पर निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए था।

अभिलेख में रक्षित साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी पर बिना सूचना कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप सत्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा समय-समय पर अवकाश तथा अवकाश का विस्तार संबंधी आवेदन उचित माध्यम से सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोप के अनुपात में अपीलार्थी का संविदा समाप्ति जैसा दण्ड अधिरोपित किया जाना अप्रत्यानुपातिक है।

अतः निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश सं0-2482 दिनांक-10.06.2024 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी का अनुपस्थित अवधि को No Work No Pay मानते हुए संविदा सेवा में पुर्ननियोजित किया जाता है। साथ ही निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को नियमानुसार किये गये कार्य का बकाया राशि का भुगतान तथा इनके मानदेय से कटौती किये गये EPF की राशि को इनके EPF खाता में हस्तांतरण किये जाने का समुचित आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

अपर मुख्य सचिव-सह-
अपीलीय प्राधिकार

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-16/2024.14289.....पटना, दिनांक :- 05/11/2024
प्रतिलिपि:- श्री अभिषेक कुमार, (Emp. ID No.- AEN04595), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण
अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय Email ID- akskumar371@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-16/2024.14289.....पटना, दिनांक :- 05/11/2024

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय को
सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-16/2024.14289.....पटना, दिनांक :- 05/11/2024

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-16/2024.14289.....पटना, दिनांक :- 05/11/2024

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ
प्रेषित।

उप निदेशक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-16/2024.14289.....पटना, दिनांक :- 05/11/2024

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को
सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-16/2024.14289.....पटना, दिनांक :- 05/11/2024

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप निदेशक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण